राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 96वीं त्रैमासिक बैठक की कार्यवृत

बैठक का विवरण

बैठक का नाम / श्रेणी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
राज्य का नाम (जहाँ लागू हो)	झारखंड
संदर्भ अवधि (जिस तिमाही के लिए बैठक आयोजित की गई)	जून तिमाही, 2026
अध्यक्षता	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
प्रतिभागियों की सूची	अनुलग्नक-1
कार्यसूची (Agenda)	अनुलग्नक-2

क) प्रारंभिक उद्बोधन का सारांश:

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की **96**वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक **27 अगस्त 2026** को होटल रमादा, बरियातु, राँची में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड सरकार के माननीय वित्त मंत्री, श्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा बैठक की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री राजीव मिश्रा द्वारा की गई। बैठक में निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारीगण की उपस्थिति उल्लेखनीय रहे:

बैठक का विधिवत शुभारंभ मंचासीन विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की **96**वीं पुस्तिका का लोकार्पण सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया।

बैठक में क्रमशः सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

ख) पिछली बैठक/बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई प्रतिवेदन:

कार्रवाई बिंदु	किसके द्वारा ATR प्रस्तुत किया गया / प्रस्तुत किया जाना है	प्रस्तुत ATR का विवरण	चर्चा, यदि कोई हो	स्थिति: लंबित / पूर्ण	निस्तारण की समय-सीमा
ब्रिक-एंड-मोर्टर शाखाओं हेतु	बैंक जहाँ शाखा खोलना लंबित है, एलडीएम एवं एसएलबीसी	गत 95वीं SLBC बैठक में निर्धारित स्थलों पर बैंक शाखाएँ खोलने के संबंध में चर्चा की गई थी। इस क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 25 मई 2025 को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा झारखंड में 29 स्थानों की पहचान की गई थी, जहाँ Brick & Mortar शाखाएँ खोली जानी थीं। अब तक 29 में से 16 स्थानों पर शाखाएँ खोली जा चुकी हैं। शेष चिन्हित स्थलों में से 13 स्थानों पर शाखाएँ खोला जाना अभी अपेक्षित है। अधिकांश संबंधित बैंक शाखा खोलने हेतु परिसर की पहचान एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण करने की दिशा में कार्यरत हैं।	चर्चा के दौरान विशेष रूप से इंडसइंड बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के लंबित शाखा-स्थलों के संबंध में वर्तमान प्रगति एवं शाखा खोलने की संभावित समय-सीमा से सदन को अवगत कराने हेतु संबंधित बैंक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया। साथ ही, शेष सभी चिन्हित स्थानों पर शाखा खोलने की प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी लाने पर बल दिया गया।	लंबित	यथाशीघ्र / प्राथमिकता के आधार पर
निष्क्रिय बैंकिंग संवाददाताओं	Fino Payments Bank	मार्च तिमाही में राज्य में निष्क्रिय BCs की संख्या 34,594 थी, जो जून तिमाही में घटकर 29,411 हो गई है। इस प्रकार, एक तिमाही में निष्क्रिय BCs की संख्या में 5,183 की कमी हुई है। कुल 29,411 निष्क्रिय BCs में से 24,203 BCs Fino Payments Bank से संबंधित हैं। निष्क्रिय BCs को पुनः सक्रिय करने हेतु कॉलिंग, फील्ड विजिट एवं SMS आदि माध्यमों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, लंबे समय से निष्क्रिय BCs के संबंध में BC Self-Exit अथवा Bank-Induced Exit की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से अपनाई जा रही है। प्रथम चरण में लगभग 4,784 निष्क्रिय BCs को Bank-Induced Exit प्रक्रिया के तहत हटाया गया है।	समिति द्वारा निष्क्रिय BCs की संख्या में हुई कमी पर संतोष व्यक्त किया गया। Fino Payments Bank को निर्देशित किया गया कि शेष निष्क्रिय BCs को भी नियमानुसार शीघ्र सक्रिय करने अथवा आवश्यकतानुसार Exit प्रक्रिया के अंतर्गत हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही, संबंधित क्षेत्रों में वैकल्पिक BCs की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।	लंबित	चरणबद्ध रूप से / आगामी तिमाही में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
ATR प्रस्तुत करने हेतु	सभी सदस्य बैंक, विशेषकर IDBI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank एवं Utkarsh Small Finance Bank द्वारा ATR प्रस्तुत किया जाना है।	समीक्षा के दौरान पाया गया कि उपर्युक्त कुछ सदस्य बैंकों द्वारा अब तक ATR उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही, अनेक बैंकों द्वारा प्रस्तुत ATR संबंधित बैंक के State Head के अनुमोदन/हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।	सभी सदस्य बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक SLBC बैठक के कार्यवाही बिंदुओं के अनुपालन में बिंदुवार ATR, संबंधित State Head के अनुमोदन/हस्ताक्षर सहित, निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ATR में उल्लिखित कार्रवाई संबंधित बैंक के राज्य स्तरीय प्रबंधन के संज्ञान में हो तथा SLBC द्वारा समयबद्ध समीक्षा एवं समेकन की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपादित की जा सके।	पूर्ण	आगामी SLBC बैठक से पूर्व / निर्धारित समय-सीमा के भीतर
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हेतु	संबंधित सदस्य बैंक/ HDFC Bank	राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। विशेष रूप से HDFC Bank के प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की गई। HDFC Bank द्वारा योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 405 आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से केवल 12 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में	समिति द्वारा बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि सभी सदस्य बैंक अपने स्तर पर योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा करें तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण में	लंबित	अगली SLBC बैठक तक प्रगति की समीक्षा

		कुल 41 बैंकों में से केवल 10 बैंकों द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण वितरण किया गया है, जबकि 31 बैंकों द्वारा अभी तक ऋण वितरण नहीं किया गया है।	तेजी लाएं। जिन बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, उनके द्वारा प्रदर्शन में सुधार हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही, संबंधित बैंक यह समीक्षा करें कि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है तथा पात्र लाभुकों को समयबद्ध रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।		
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना हेतु	सभी सदस्य बैंक	वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर SLBC द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सदस्य बैंकों को खाता-वार एवं राशि-वार लक्ष्य आवंटित किए गए थे। इसके अंतर्गत कुल 853 खातों तथा ₹19.52 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। समीक्षा अवधि में राज्य द्वारा लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की गई है। योजना के अंतर्गत अब तक 934 खाते खोले गए हैं, जिनमें लगभग ₹21 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है तथा ₹17 करोड़ की राशि वितरित की गई है।	समिति द्वारा योजना के अंतर्गत राज्य के संतोषजनक प्रदर्शन की सराहना की गई। सभी सदस्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि वर्तमान गति को वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में भी बनाए रखते हुए योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण में और अधिक प्रगति सुनिश्चित की जाए।	पूर्ण	वित्तीय वर्ष के दौरान निरंतर
लंबित Re-KYC हेतु	सभी संबंधित सदस्य बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन में SLBC द्वारा 20 जुलाई से 30 जुलाई तक लंबित Re-KYC मामलों के निस्तारण हेतु सात प्रमुख बैंकों की सर्वाधिक लंबित Re-KYC मामलों वाली 10-10 शाखाओं में विशेष Re-KYC कैंप आयोजित किए गए। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार गहन अभियान चलाकर लंबित Re-KYC मामलों के निस्तारण का प्रयास किया गया। हालांकि, कैंपों के दौरान अपेक्षित प्रगति संतोषजनक नहीं रही।	समिति द्वारा लंबित Re-KYC मामलों के निस्तारण की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। सभी संबंधित बैंकों से अनुरोध किया गया कि Re-KYC लंबित मामलों की बैंक/शाखा-वार समीक्षा करते हुए डेटा-आधारित कार्ययोजना तैयार करें तथा लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष एवं निरंतर प्रयास करें। यदि किसी बैंक के समक्ष Re-KYC निस्तारण में कोई वास्तविक समस्या/चुनौती है, तो उसे स्पष्ट रूप से SLBC के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, संबंधित बैंकों के State Head से इस विषय पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए नियमित निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।	लंबित	निरंतर / आगामी SLBC बैठक तक प्रगति की समीक्षा
NSFI 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हेतु	सभी संबंधित सदस्य बैंक	राज्य में NSFI 2.0 के अंतर्गत कुल 23,454 Unbanked Rural Centres (URCs) चिन्हित किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 7,187 लोकेशन ऐसे हैं जिन्हें या तो BC अथवा Bank Branch/BC के माध्यम से कवर किया जा चुका है। संबंधित बैंकों द्वारा इन लोकेशनों का सत्यापन कर CISBI Portal पर डेटा अपलोड किया जाना है। शेष 16,267 Unbanked Locations को NSFI 2.0 में निर्धारित Tier-I से Tier-V केन्द्रों के मानदंड के अनुरूप कवर करने हेतु विभिन्न बैंकों को लोकेशन आवंटित की गई हैं।	सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि आवंटित Unbanked Locations की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में BC/Banking Correspondent अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इन लोकेशनों को कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही, कवर किए गए लोकेशनों का सत्यापन कर CISBI Portal पर आवश्यक डेटा समयबद्ध रूप से अपलोड किया जाए।	लंबित	NSFI 2.0 की निर्धारित समय-सीमा के अनुसार / चरणबद्ध रूप से
NSFI 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हेतु	सभी संबंधित सदस्य बैंक	NSFI 2.0 के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक राज्य में कुल BCs में 30% महिला BCs सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्तमान में राज्य में 12,570 महिला BCs हैं, जो कुल BCs का लगभग 11.18% है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित बैंकों को महिला BCs की संख्या बढ़ाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।	सभी संबंधित बैंकों से महिला BCs की संख्या बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने का अनुरोध किया गया। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि JSLPS के पास BC के लिए आवश्यक प्रमाणित IBA Certified BC उपलब्ध है। अतः जिन बैंकों को चिन्हित/आवंटित लोकेशनों पर महिला BCs	लंबित	दिसंबर 2028 तक

			की आवश्यकता है, वे JSLPS के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक महिला BCs की नियुक्ति/तैनाती सुनिश्चित कर सकते हैं।		

ग) कार्यसूची पर चर्चा

क्र. सं.	कार्यसूची का विषय	चर्चा का सारांश	कार्रवाई बिंदु	कार्रवाई हेतु उत्तरदायित्व	समय-सीमा
1	राज्य का ऋण-जमा अनुपात, जमा एवं अग्रिम में वृद्धि तथा ऋण प्रवाह	महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC झारखंड, श्री गुरु प्रसाद गोंड ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार राज्य के बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख वित्तीय संकेतकों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात 54.97% हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.10% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है। राज्य में कुल जमा में 9.72% तथा कुल अग्रिम में 18.63% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने आगे बताया कि दिनांक 30 जून 2026 की स्थिति में राज्य का सकल NPA 4.30% रहा। इन उपलब्धियों के लिए उन्होंने राज्य सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, सभी बैंकों, अग्रणी जिला प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। साथ ही, राज्य में ऋण-जमा अनुपात में और सुधार तथा ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।	राज्य में ऋण-जमा अनुपात में और सुधार, उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने तथा वर्तमान सकारात्मक वृद्धि की गति को बनाए रखने हेतु बैंकों एवं संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाए।	समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक	निरंतर / आगामी SLBC बैठक तक समीक्षा
2	फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज	श्री गुरु प्रसाद गोंड ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि बीमा कवरेज हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है तथा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सीमित समय शेष है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग 30% खाते ही फसल बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं। उन्होंने शेष अवधि में विशेष प्रयास करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों/खातों को योजना के अंतर्गत आच्छादित करने तथा 100% फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने पर बल दिया।	शेष पात्र किसानों/खातों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शीघ्रता से आच्छादित करते हुए 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समस्त बैंकों द्वारा विशेष प्रयास एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए।	समस्त बैंक	31 अगस्त 2026
3	फसल ऋण/कृषि ऋण हेतु विशेष अभियान	महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC झारखंड ने सदन को अवगत कराया कि कृषि ऋण को बढ़ावा देने तथा अधिकाधिक पात्र किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 20 अप्रैल से 30 मई 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 11,728 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8,190 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा लगभग ₹58.24 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। उन्होंने अल्प अवधि में अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए	कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु इसी प्रकार के लक्षित अभियानों को जारी रखते हुए पात्र किसानों के अधिकाधिक ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण एवं ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए।	समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक	निरंतर

		समस्त बैंकर्स के प्रयासों की सराहना की तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।			
4	जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु NSSHO की योजनाओं का प्रचार-प्रसार	महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC झारखंड ने सदन को अवगत कराया कि झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य होने के कारण NSSHO द्वारा संचालित योजनाओं एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संबंधित योजना के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी पर 25% तक, अधिकतम ₹25 लाख की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने समस्त बैंकों से अपेक्षा की कि योजना के लिए पात्र अधिकाधिक लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा नियमानुसार उपलब्ध ऋण एवं सब्सिडी का लाभ उन तक पहुँचाने हेतु सक्रिय प्रयास किए जाएँ।	NSSHO की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं कवरेज सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें नियमानुसार ऋण एवं सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जाए।	समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक	निरंतर
5	भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र के बिना KCC ऋण सीमा में वृद्धि	महाप्रबंधक एवं संयोजक, SLBC झारखंड, श्री गुरु प्रसाद गोंड ने सदन के संज्ञान में लाया कि किसानों की सुविधा एवं कृषि ऋण की पहुँच को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से SLBC द्वारा भूमि स्वामित्व/कब्जा प्रमाण-पत्र (Land Possession Certificate) के साथ KCC ऋण की सीमा ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.00 लाख किए जाने के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि इस संबंध में आवश्यक निर्णय/कार्यान्वयन अभी अपेक्षित है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि किसानों की सुविधा तथा ऋण तक उनकी सहज पहुँच को ध्यान में रखते हुए भूमि स्वामित्व/कब्जा प्रमाण-पत्र के बिना ₹2.00 लाख तक के KCC ऋण की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।	किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भूमि स्वामित्व/कब्जा प्रमाण-पत्र के बिना ₹2.00 लाख तक KCC ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक विचार एवं कार्रवाई की जाए।	राज्य सरकार / संबंधित विभाग	यथाशीघ्र
6	संशोधित लीड बैंक योजना पर चर्चा	श्री अभिजीत टंडन, वरिष्ठ प्रबंधक, ने व्यावसायिक सत्र के दौरान दिनांक 19 जून 2026 को जारी संशोधित लीड बैंक योजना के संबंध में सदन को अवगत कराया तथा योजना में किए गए प्रमुख संशोधनों एवं प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि BLBC, DLCC एवं DLRC जैसे महत्वपूर्ण मंचों की बैठकें लीड बैंक योजना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों से निर्धारित समय-सीमा के अनुसार उक्त बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे अवगत कराया कि संशोधित लीड बैंक योजना परिपत्र में विभिन्न बैठकों की कार्यसूची स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। अतः सभी	BLBC, DLCC एवं DLRC की बैठकें निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित की जाएँ। संशोधित LBS में निर्धारित कार्यसूची के अनुसार बैठकों का संचालन किया जाए तथा सभी बैठकों के कार्यवृत्त अनुलग्नक-10 में निर्धारित समान प्रारूप में तैयार किए जाएँ।	समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक / संबंधित हितधारक	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार / निरंतर

		संबंधित हितधारकों से अपेक्षा की गई कि वे निर्धारित कार्यसूची के अनुरूप ही संबंधित बैठकों का आयोजन करें। उन्होंने यह भी बताया कि बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करने हेतु एक समान प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो अनुलग्नक-10 में दिया गया है। अतः सभी संबंधित हितधारकों द्वारा लीड बैंक योजना में निर्धारित उक्त प्रारूप के अनुसार बैठकों के कार्यवृत्त तैयार किए जाएँ।			
7	बैंकों से संबंधित राज्य सरकार के समक्ष लंबित मुद्दे	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि SLBC की Sub-Committee की बैठकों में सदस्य बैंकों द्वारा राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों को चर्चा हेतु उठाया गया था। इनमें प्रमुख रूप से CNT Act, कृषि ऋण हेतु ₹1 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख किए जाने, किसानों के लिए Farmer ID बनाए जाने, तथा बैंकों के पास बंधक रखी गई परिसंपत्तियों के पंजीकरण एवं संबंधित रजिस्टर/अभिलेख में Charge Noting किए जाने से संबंधित विषय शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन विषयों पर SLBC द्वारा पत्राचार तथा अन्य उपयुक्त मंचों के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ चर्चा एवं समन्वय जारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन विषयों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय/समाधान प्राप्त होगा।	राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ उक्त विषयों पर निरंतर समन्वय एवं विचार-विमर्श करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विषयों को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा समाधान प्राप्त होने तक संबंधित मुद्दों का अनुसरण किया जाएगा।	राज्य सरकार	निरंतर / शीघ्र निस्तारण हेतु
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लोनी किसानों का 100% कवरेज	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि Agriculture & Allied Activities Sub-Committee की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लोनी किसानों के 100% कवरेज का विषय प्रमुखता से चर्चा में आया। वर्ष 2026 के लिए योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि राज्य के 12 जिले अल्पवृष्टि/प्राकृतिक आपदा से प्रभावित घोषित किए गए हैं, अतः योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र लोनी किसान बीमा कवरेज से वंचित न रहे। वर्तमान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कुल लोनी किसानों में से 70.14% किसानों को योजना के अंतर्गत कवर किया जा चुका है।	सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया गया कि शेष पात्र लोनी किसानों की पहचान कर 100% कवरेज/सैचुरेशन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी पात्र किसानों को योजना के अंतर्गत कवर किया जाए।	सभी सदस्य बैंक	31 अगस्त 2026 तक
9	राज्य में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि CD Ratio Sub-Committee की बैठक में राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सुधार के संबंध में चर्चा की गई। जून 2026 में राज्य का ऋण-जमा अनुपात 54.97% रहा। बैठक में सभी सदस्य बैंकों के साथ चर्चा करते हुए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि मार्च 2027 तक राज्य का ऋण-जमा अनुपात न्यूनतम 60% के स्तर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने राज्य में न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात वाले बैंकों का भी उल्लेख किया, जिनमें **AU Small Finance Bank – 4.37%, South Indian Bank – 9.55%, DCCB Bank – 11.29% तथा Jana Small Finance Bank – 33.34% शामिल हैं।**	सभी सदस्य बैंकों, विशेषकर न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात वाले बैंकों को अपने ऋण-जमा अनुपात में सुधार हेतु विशेष प्रयास करने तथा राज्य में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया गया। बैंकों द्वारा जमा राशि के अनुरूप ऋण वितरण में वृद्धि करते हुए मार्च 2027 तक राज्य का न्यूनतम 60% ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए।	सभी सदस्य बैंक, विशेषकर न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात वाले बैंक	मार्च 2027 तक

10	वार्षिक ऋण योजना 2026-27 की समीक्षा	श्री टंडन ने व्यावसायिक सत्र के दौरान वार्षिक ऋण योजना 2026-27 की समीक्षा के संबंध में सदन को अवगत कराया कि कुल अग्रिमों के संबंध में ACP की उपलब्धि 38.33% रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि क्रमशः कृषि क्षेत्र में 30.10%, MSME क्षेत्र में 57.34%, प्राथमिकता क्षेत्र में 21.65% तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 49.21% रही है। उन्होंने आगे बताया कि ग्राउंड लेवल क्रेडिट प्लान (GLCP) का संशोधित लक्ष्य SLBC को बैठक से लगभग तीन दिन पूर्व प्राप्त हुआ है, जिसमें कृषि क्षेत्र का लक्ष्य ₹30,385 करोड़ निर्धारित किया गया है।	प्राप्त संशोधित GLCP लक्ष्य के आधार पर कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्यों को सभी संबंधित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ शीघ्र साझा करते हुए बैंक-वार लक्ष्य निर्धारित/वितरित किए जाएंगे। आगामी तिमाही में संशोधित लक्ष्यों के आधार पर ACP की प्रगति की समीक्षा एवं प्रस्तुति की जाएगी तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा।	SLBC एवं सभी सदस्य बैंक	अगली तिमाही से / वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान
11	कम ऋण-जमा अनुपात एवं कम ACP उपलब्धि वाले जिलों की विशेष निगरानी	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि Review of Lead Bank Scheme के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऐसे जिलों, जिनका ऋण-जमा अनुपात 40% से कम तथा गत वित्तीय वर्ष में ACP उपलब्धि 100% से कम रही है, में विशेष Sub-Committee का गठन कर Monitorable Action Plan के माध्यम से ऋण-जमा अनुपात की नियमित निगरानी की जानी है। मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर ऐसे 7 जिले—चतरा, दुमका, गुमला, जामताड़ा, पलामू, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम—चिन्हित किए गए हैं।	उक्त सभी जिलों में विशेष Sub-Committee का गठन कर BCC के अनुरूप नियमित एवं गहन समीक्षा की जाएगी। संबंधित जिलों के लिए Monitorable Action Plan तैयार/कार्यान्वित करते हुए ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा ऋण-जमा अनुपात को 40% से ऊपर लाने हेतु बैंक-वार एवं जिला-वार प्रगति की करीबी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।	चतरा, दुमका, गुमला, जामताड़ा, पलामू, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम	निरंतर / आगामी SLBC समीक्षा तक
12	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) पोर्टल की स्थिति	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि Government Sponsored Schemes की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से संबंधित विषय पर चर्चा की गई। पूर्व में आयोजित Sub-Committee की बैठक में KVIC द्वारा अवगत कराया गया था कि PMEGP Portal के उन्नयन/पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण पोर्टल का संचालन प्रभावित है। वर्तमान स्थिति के संबंध में KVIC के प्रतिनिधि से जानकारी प्राप्त की गई। इस पर KVIC के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल के पुनर्विकास का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा इसके लगभग तीन माह में पुनः संचालित होने की संभावना है।	PMEGP Portal के पुनः संचालन के उपरांत सभी संबंधित बैंकों एवं हितधारकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों एवं प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई पुनः सुचारु रूप से की जा सके।	KVIC	लगभग 3 माह में / पोर्टल के पुनः संचालन के साथ
13	राज्य में सकल NPA की समीक्षा	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि समीक्षाधीन तिमाही में राज्य का सकल NPA 4.30% रहा। उन्होंने बताया कि कुछ बैंकों, जैसे Indian Bank, Central Bank of India, UCO Bank, RBI Bank एवं Bandhan Bank का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जून 2022 में राज्य के कुल अग्रिम ₹96,760 करोड़ थे, जो जून 2026 में बढ़कर ₹1,88,282 करोड़ हो गए। इसके बावजूद, सकल NPA की राशि जून	सभी सदस्य बैंकों से अपेक्षा की गई कि अग्रिमों में वृद्धि के साथ-साथ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने तथा NPA में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सतत निगरानी एवं प्रभावी वसूली उपाय सुनिश्चित किए जाएं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों	सभी सदस्य बैंक	निरंतर / तिमाही आधार पर समीक्षा

		2022 में लगभग ₹7841.32 करोड़ के स्तर पर थी, जो जून 2026 में भी लगभग ₹7843 करोड़ रही। इससे यह परिलक्षित होता है कि राज्य में अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद NPA की राशि को लगभग स्थिर रखने में सफलता मिली है तथा NPA नियंत्रण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।	की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य बैंक भी NPA नियंत्रण एवं वसूली में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाएं।		
14	कौशल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन	श्री टंडन ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में वर्तमान में बैंकों द्वारा कुल 24 RSETIs एवं 1 RUDSETI संचालित किए जा रहे हैं। Sub-Committee की बैठक में सदस्य बैंकों के साथ RSETI/RUDSETI के प्रदर्शन की समीक्षा की गई तथा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण उपरांत Settlement एवं Credit Linkage से संबंधित प्रगति का अवलोकन किया गया। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि बैंकों का प्रदर्शन समीक्षाधीन तिमाही में बेहतर हुआ है तथा बैंक द्वारा आगामी तिमाहियों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का आश्वासन दिया गया है।	सभी संबंधित बैंकों को RSETI/RUDSETI के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण उपरांत Settlement एवं Credit Linkage में सुधार करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।	सभी सदस्य बैंक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान / आगामी तिमाहियों में
15	कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों एवं बैंकों की समीक्षा	श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, DFS ने सदन को अवगत कराया कि राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़कर लगभग 55% हो जाना एक स्वागत योग्य प्रगति है। तथापि, राज्य के 6 जिले एवं कुछ बैंक अभी भी 40% से कम ऋण-जमा अनुपात पर हैं। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि संबंधित जिलों एवं बैंकों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए तथा ऋण-जमा अनुपात में सुधार हेतु Monitorable Action Plan तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।	40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले 6 जिलों एवं संबंधित बैंकों के लिए बैंकवार/जिलावार रोडमैप तैयार कर Monitorable Action Plan प्रस्तुत करना।	40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले संबंधित जिला एवं संबंधित सदस्य बैंक	आगामी SLBC बैठक
16	पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा	श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, DFS ने सदन को अवगत कराया कि पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य का प्रदर्शन अच्छा एवं उत्साहजनक रहा है। तथापि, आवेदन, स्वीकृति, केंद्रीय सहायता/सब्सिडी तथा वितरण के स्तर पर अभी भी कुछ अंतर बना हुआ है। उन्होंने पूर्व में भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा था कि इन सभी चारों मापदंडों की नियमित निगरानी एवं बेहतर समन्वय से योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाया जा सकता है।	आवेदन से लेकर स्वीकृति, केंद्रीय सहायता/सब्सिडी एवं वितरण तक प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा करते हुए अंतर को कम करना तथा चारों मापदंडों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	सभी सदस्य बैंक	निरंतर / आगामी समीक्षा बैठक तक
17	CSR निधि के उपयोग एवं प्रगति की समीक्षा	श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, DFS ने सदन को अवगत कराया कि पिछली बैठक में सभी बैंकों से CSR निधि के उपयोग एवं व्यय का आवधिक विवरण साझा करने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि इस संबंध में अपेक्षित प्रगति/विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः सभी सदस्य बैंकों से CSR निधि के उपयोग का समेकित विवरण उपलब्ध कराने तथा उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।	सभी सदस्य बैंकों द्वारा CSR निधि के उपयोग का अद्यतन एवं समेकित विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा आगामी बैठक में CSR से संबंधित प्रगति/स्थिति बिंदुवार प्रस्तुत की जाए।	सभी सदस्य बैंक एवं SLBC	आगामी SLBC बैठक

18	ऋण-जमा अनुपात, ऋण प्रवाह एवं लंबित कार्रवाई बिंदुओं की समीक्षा	श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, DFS ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात एवं ऋण प्रवाह में सुधार हुआ है, तथापि केवल समग्र (Aggregate) स्तर के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लंबित कार्रवाई बिंदुओं के ठोस निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लंबित कार्रवाई बिंदुओं के संबंध में सभी संबंधित बैंकों से अपेक्षित कार्रवाई हेतु बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। अतः प्रत्येक बैंक के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व, निश्चित समय-सीमा तथा अपेक्षित परिणाम निर्धारित किए जाएं और आगामी बैठक में वास्तविक रूप से प्राप्त परिणामों की समीक्षा की जाए।	सभी लंबित कार्रवाई बिंदुओं के लिए बैंकवार उत्तरदायित्व एवं निश्चित समय-सीमा निर्धारित करते हुए मापनीय परिणाम सुनिश्चित किए जाएं तथा आगामी बैठक में बैंकवार वास्तविक उपलब्धि प्रस्तुत की जाए।	सभी सदस्य बैंक	आगामी SLBC बैठक
19	बैंकों एवं जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु	श्री अंजनी कुमार ठाकुर, निदेशक, DFS ने अपने विचार-विमर्श के दौरान सदन को अवगत कराया कि बैंकों एवं जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा के उद्देश्य से वे झारखंड राज्य में समीक्षा हेतु दौरा करेंगे। इस दौरान विभिन्न SLBC से संबंधित विषयों के साथ-साथ सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रदर्शन की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी।	राज्य में विभिन्न SLBC एजेंडा, सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित बैंकवार एवं जिलावार अद्यतन प्रगति एवं आंकड़े तैयार रखे जाएं, ताकि समीक्षा के दौरान प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।	जानकारी हेतु	
20	केसीसी के अंतर्गत गोल्ड लोन के उपयोग की समीक्षा	मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि सर्वप्रथम सभी बैंकों को बधाई दी जानी चाहिए कि इस तिमाही में बैंकिंग के प्रमुख मानकों, जैसे जमा, ऋण, ऋण-जमा अनुपात आदि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा NPA में भी सुधार दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खरीफ मौसम के दृष्टिगत NABARD की प्रमुख चिंता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से संबंधित है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा यह विषय ध्यान में लाया गया है कि कुछ शाखाओं में KCC के अंतर्गत गोल्ड लोन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि KCC के अंतर्गत लागू ब्याज सहायता/रियायती ब्याज व्यवस्था का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों पर ब्याज का भार कम करना है। अतः KCC का उपयोग गोल्ड लोन के लिए किए जाने की स्थिति में योजना के प्रावधानों का उल्लंघन एवं दुरुपयोग होता है तथा वास्तविक पात्र लाभार्थी इससे वंचित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में KCC सीमा का निर्धारण फसल वित्त (Crop Finance) की आवश्यकता के आधार पर न होकर सोने के मूल्य के आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में NABARD द्वारा SLBC से अनुरोध किया गया है कि ऐसी शाखाओं/खातों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा भारत सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए।	सभी सदस्य बैंकों द्वारा KCC खातों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि KCC का उपयोग गोल्ड लोन के लिए न किया जाए तथा KCC सीमा का निर्धारण निर्धारित मानदंडों एवं फसल वित्त की आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। ऐसे मामलों/शाखाओं की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।	सभी सदस्य बैंक एवं SLBC	तत्काल / आगामी समीक्षा बैठक तक

21	प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जिलों में कृषि एवं ऋण प्रवाह की समीक्षा	मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत देशभर में 100 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से चयनित जिलों में समेकित कृषि विकास पर कार्य किया जाना है। योजना का विशेष फोकस छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि विकास, फसल विविधीकरण, फसल सघनता में सुधार, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल कटाई उपरांत भंडारण एवं विपणन तथा किसानों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर है। उन्होंने अनुरोध किया कि सदस्य बैंक इस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा दोनों जिलों का ऋण-जमा अनुपात 40% से कम है। अतः योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य आवश्यक वित्तीय सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है।	प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिलों में विशेष ध्यान देते हुए कृषि ऋण प्रवाह, ऋण-जमा अनुपात, फसल विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण, विपणन एवं अन्य कृषि संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जाए।	पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा	निरंतर / योजना की अवधि के दौरान
22	FPO निदेशकों के राशन कार्ड से संबंधित पात्रता का विषय	श्रीमति दीपमाला घोष, मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा उनकी सामूहिक विपणन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषक उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations – FPOs) को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें NABARD द्वारा प्रोत्साहित FPOs के साथ-साथ भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत देशभर में 10,000 FPOs के गठन/प्रोत्साहन की पहल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड हेतु निर्धारित पात्रता मानकों में किसी कंपनी के निदेशक होने से संबंधित प्रावधान के कारण कुछ ऐसे किसान, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत FPO के निदेशक मंडल में शामिल हैं, राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय में भारत सरकार द्वारा गत वर्ष सितंबर में संबंधित विभागों को पत्र जारी किया गया था तथा NABARD द्वारा भी 19 मई को कृषि विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने राज्य के कृषि विभाग से अनुरोध किया कि इस विषय पर आवश्यक ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि राशन कार्ड की पात्रता का निर्धारण करते समय सभी निर्धारित मानकों की समुचित जांच के उपरांत ही निर्णय लिया जाए तथा केवल FPO के निदेशक होने के आधार पर पात्र किसानों को राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न किया जाए। उन्होंने कहा कि FPOs को वर्तमान स्तर तक लाने में काफी प्रयास एवं हैंडहोल्डिंग किया गया है और ऐसे किसानों को अनावश्यक रूप से निदेशक पद से हटने के लिए बाध्य करने से FPOs के संचालन एवं संस्थागत स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	FPOs के निदेशक मंडल में शामिल किसानों के राशन कार्ड संबंधी मामलों की पात्रता मानकों के अनुरूप समीक्षा की जाए तथा केवल FPO के निदेशक होने के आधार पर पात्र किसानों को राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न किया जाए। संबंधित जिला/प्रखंड स्तर के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।	कृषि विभाग, झारखंड सरकार	प्राथमिकता के आधार पर / शीघ्र

23	राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग पहुंच का विस्तार	श्रीमति दीपमाला घोष, मुख्य महाप्रबंधक, NABARD ने सदन को अवगत कराया कि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के अंतर्गत चिन्हित 23,000 से अधिक अनसेव्ड रेवेन्यू सेंटर्स में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की उपलब्धता के संदर्भ में गिरिडीह जिले में शाखाओं की संख्या राज्य के औसत से कम है। अतः उन्होंने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि यदि चालू वित्तीय वर्ष में नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई जा रही है, तो ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी जाए जहां प्रति लाख जनसंख्या पर शाखाओं की उपलब्धता राज्य के औसत से कम है। इससे बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।	नई बैंक शाखाएं खोलने की योजना बनाते समय राज्य के औसत से कम शाखा-प्रवेश वाले जिलों, विशेषकर गिरिडीह, को प्राथमिकता दी जाए तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु शाखा विस्तार की कार्ययोजना तैयार की जाए।	सभी सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक गिरिडीह	वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान / चरणबद्ध रूप से
24	भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं ऋण प्रवाह में वृद्धि	श्रीमती रक्षा मिश्र ने सदन में एक महत्वपूर्ण विषय उठाते हुए कहा कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात में सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, तथापि अखिल भारतीय औसत की तुलना में झारखंड अभी पीछे है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय औसत लगभग 82% के आसपास है, जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 68%, ओडिशा में लगभग 71%, छत्तीसगढ़ में लगभग 70% तथा बिहार में लगभग 57.26% ऋण-जमा अनुपात है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि झारखंड में ऋण प्रवाह को और बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने विशेष रूप से **भूमि अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण** की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य सरकार से इस दिशा में सक्रिय पहल करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण केवल तकनीकी सुधार तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाने, ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल करने तथा राज्य की आर्थिक क्षमता को बेहतर ढंग से उपयोग में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः उन्होंने राज्य सरकार से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया, जिससे बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह को और गति दी जा सके।	राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को गति दी जाए तथा बैंकिंग क्षेत्र के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर डिजिटल भूमि अभिलेखों की उपलब्धता एवं उपयोगिता सुनिश्चित की जाए, ताकि ऋण स्वीकृति एवं ऋण प्रवाह को सुगम बनाया जा सके।	राज्य सरकार	प्राथमिकता के आधार पर / चरणबद्ध रूप से
25	डिजिटल रिकवरी सर्टिफिकेट प्रणाली लागू करने की समीक्षा	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में ऋण वसूली की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल रिकवरी सर्टिफिकेट (Digital Recovery Certificate) प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिलों में सक्षम प्राधिकारी/प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा रिकवरी नोटिस एवं रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, किंतु वर्तमान प्रक्रिया में मैनुअल कार्यवाही के कारण प्रायः विलंब होता है। उन्होंने कहा कि राज्य को डिजिटल रिकवरी सर्टिफिकेट प्रणाली अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस व्यवस्था से तीन प्रमुख लाभ होंगे—बैंकों की लंबित पूंजी को अनलॉक कर ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, जिला अधिकारियों पर मैनुअल कार्यभार को कम करना तथा सभी संबंधित	राज्य में डिजिटल रिकवरी सर्टिफिकेट प्रणाली लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाए तथा अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर झारखंड में चरणबद्ध/पायलट आधार पर इसके कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।	राज्य सरकार	प्राथमिकता के आधार पर / चरणबद्ध रूप से

		हितधारकों को प्रक्रिया की वास्तविक समय (Real-time) स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना। उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों द्वारा इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है तथा झारखंड भी प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवस्था को अपनाने/पायलट के रूप में लागू करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में ऋण प्रवाह को निश्चित रूप से गति मिलेगी।			
26	MSME क्षेत्र के विकास एवं जिला स्तरीय MSME केंद्रों की स्थापना	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है तथा राष्ट्रीय GDP में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही, कृषि के बाद यह देश में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा MSME Promotion Policy लागू की गई है, जिसमें MSME क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से राज्य स्तर पर MSME से संबंधित संस्थागत व्यवस्था के गठन तथा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय MSME केंद्र (District MSME Centre) स्थापित किए जाने के प्रावधान का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इन केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया को शीघ्रता से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी एवं सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने, वार्षिक गारंटी शुल्क आदि से संबंधित सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने तथा उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने हेतु बेहतर वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।	झारखंड MSME Promotion Policy के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय MSME केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन, वित्तीय सुविधाओं एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।	राज्य सरकार	प्राथमिकता के आधार पर / शीघ्र
27	MSME क्लस्टर्स का विकास एवं बैंक ऋण से लिंकेज	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि झारखंड राज्य में 15 MSME क्लस्टर्स हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इन क्लस्टर्स के विकास हेतु आवश्यक पहल करते हुए Common Facility Centres (CFCs) की स्थापना पर ध्यान दिया जाए, जिससे क्लस्टर आधारित उद्यमों को आवश्यक साझा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तथा राज्य में उद्यमिता एवं MSME पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के 15 MSME क्लस्टर्स में से 11 क्लस्टर्स में संबंधित Lead Bank की भूमिका एक ही बैंक द्वारा निभाई जा रही है। तथापि, इन क्लस्टर्स में अपेक्षित MSME क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित नहीं हो पाया है। अतः उन्होंने संबंधित Lead Bank से इस विषय पर विशेष ध्यान देने तथा MSME क्लस्टर्स के उद्यमियों को आवश्यक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया।	राज्य में चिन्हित MSME क्लस्टर्स के लिए Common Facility Centres की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा सभी MSME क्लस्टर्स में पात्र उद्यमियों का बैंक ऋण से प्रभावी क्रेडिट लिंकेज सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से 11 MSME क्लस्टर्स के Lead Bank द्वारा क्रेडिट लिंकेज की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।	राज्य सरकार, Lead Bank एवं सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर

28	MSME Empowered Committee में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व की समीक्षा	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सदन को अवगत कराया कि MSME Empowered Committee एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसकी बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक में नियमित रूप से आयोजित होती है तथा जिसमें MSME क्षेत्र में ऋण प्रवाह एवं संबंधित विषयों की समीक्षा की जाती है। इस समिति में MSME क्षेत्र, DFIs, बैंकों एवं उद्योग संघों सहित विभिन्न प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व रहता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व इस समिति में नहीं है। अतः उन्होंने उद्योग विभाग से अनुरोध किया कि राज्य स्तर पर किसी उपयुक्त अधिकारी/प्रतिनिधि को नामित किया जाए, ताकि समिति की बैठकों में राज्य सरकार का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके तथा MSME क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं, बाधाओं एवं आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझकर उनके समाधान हेतु समन्वित प्रयास किए जा सकें। उन्होंने उल्लेख किया कि यह विषय पिछली बैठक में भी उठाया गया था और इस संबंध में पुनः आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया।	MSME Empowered Committee में राज्य सरकार की ओर से उपयुक्त अधिकारी/प्रतिनिधि को नामित कर समिति की बैठकों में नियमित भागीदारी सुनिश्चित की जाए।	उद्योग विभाग, झारखंड सरकार	प्राथमिकता के आधार पर / आगामी समिति बैठक से पूर्व
29	Re-KYC (पुनः केवाईसी) का निष्पादन	संबंधित अधिकारी ने सदन को अवगत कराया कि बैंकों में लंबित Re-KYC मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर लंबित Re-KYC मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि Re-KYC संबंधी दिशानिर्देश काफी सरल एवं सुव्यवस्थित हैं। यदि किसी बैंक को Re-KYC के निष्पादन में किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई अथवा चुनौती का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसे संबंधित मंच के समक्ष रखा जाए, ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके।	सभी बैंकों द्वारा लंबित Re-KYC मामलों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। Re-KYC प्रक्रिया में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों/चुनौतियों को चिन्हित कर RBI के समक्ष रखा जाए, ताकि आवश्यक समाधान एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।	सभी सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर
30	कृषि ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड की जिलावार प्रगति	निदेशक, कृषि विभाग, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि झारखंड मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आज भी आय का प्रमुख स्रोत है। राज्य में लगभग 38 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें लगभग 20 लाख हेक्टेयर खरीफ एवं 18 लाख हेक्टेयर रबी फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ सीजन के दौरान किसानों की प्रमुख आवश्यकता कृषि ऋण की होती है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एक प्रमुख माध्यम है। उन्होंने बताया कि KCC के अंतर्गत ऋण सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। साथ ही, बैंकों द्वारा KCC ऋण वितरण के आंकड़ों के विश्लेषण से जिलों के बीच उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित होता है। विशेष रूप से संथाल परगना क्षेत्र के जिलों में KCC ऋण वितरण का प्रदर्शन उत्तर छोटानागपुर एवं दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से इस जिलावार अंतर का संज्ञान लेते हुए विशेष ध्यान देने एवं इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया।	संथाल परगना एवं अन्य अपेक्षाकृत कम उपलब्धि वाले जिलों में KCC ऋण वितरण की स्थिति की बैंकवार एवं जिलावार समीक्षा की जाए। कम ऋण वितरण वाले जिलों/क्षेत्रों की पहचान कर KCC कवरेज एवं कृषि ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए।	सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक	प्राथमिकता के आधार पर

31	किसान क्रेडिट कार्ड हेतु एकीकृत पोर्टल एवं समान प्रक्रिया	निदेशक, कृषि विभाग, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि वर्तमान में प्रत्येक बैंक का अपना अलग पोर्टल एवं ऋण प्रक्रिया है, जिसके कारण किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवश्यक दस्तावेजों एवं ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंकवार अंतर देखने को मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों की सुविधा के लिए KCC हेतु एक एकीकृत (Unified) पोर्टल विकसित किया जाए, जिसमें सभी बैंकों के लिए समान दस्तावेजीकरण एवं मानकीकृत प्रक्रिया निर्धारित हो। साथ ही, KCC ऋण आवेदन के निस्तारण एवं ऋण वितरण हेतु स्पष्ट SOP एवं निर्धारित समय-सीमा तय की जाए, ताकि किसानों को कृषि सीजन, विशेषकर खरीफ के समय, समय पर ऋण उपलब्ध हो सके। उन्होंने जोर दिया कि कृषि ऋण की समयबद्ध उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होने पर किसान कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं।	KCC हेतु एकीकृत पोर्टल विकसित करने की संभाव्यता का परीक्षण किया जाए तथा सभी बैंकों के लिए समान दस्तावेजीकरण, मानकीकृत SOP एवं आवेदन से ऋण वितरण तक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग एवं संबंधित विभागों/बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।	कृषि विभाग, SLBC एवं सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर
32	Digital Agriculture Mission के अंतर्गत Farmers ID एवं कृषि संबंधी डिजिटल डेटा का एकरण	निदेशक, कृषि विभाग, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा Digital Agriculture Mission के अंतर्गत Farmers ID, जियो-रेफरेंसिंग/डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड प्लॉट्स तथा Digital Crop Survey जैसे प्रमुख घटकों पर कार्य किया जा रहा है। झारखंड में झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (JSAC) के माध्यम से भूमि प्लॉट्स के जियो-रेफरेंसिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जा चुका है तथा Digital Crop Survey के माध्यम से फसल एवं क्रॉपिंग पैटर्न का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में पुराने भूमि सर्वे एवं अद्यतन भूमि अभिलेखों से संबंधित कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, जिसके कारण Farmers ID के निर्माण एवं भूमि संबंधी डेटा के एकीकरण में चुनौतियाँ आ रही हैं। इस संबंध में उत्तराधिकार एवं म्यूटेशन/नामांतरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु कार्य किया जा रहा है तथा इसके लिए एक जिले को पायलट के रूप में चयनित कर प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि Farmers ID के माध्यम से किसान की भूमि, फसल पैटर्न एवं कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी को एकीकृत किया जा सकेगा। इससे KCC सहित विभिन्न कृषि ऋणों में संभावित डुप्लीकेशन की पहचान एवं रोकथाम में सहायता मिलेगी तथा किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल से बैंकों के लिए डुप्लीकेट/फर्जी ऋण की संभावनाओं की जांच एवं ऋण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। राज्य में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।	Farmers ID के निर्माण एवं Digital Agriculture Mission के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भूमि अभिलेख, भूमि प्लॉट, उत्तराधिकार/नामांतरण, फसल सर्वे एवं अन्य संबंधित कृषि डेटा का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए। चयनित पायलट जिले में Farmers ID से संबंधित प्रक्रिया का परीक्षण कर प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे अन्य जिलों में लागू किया जाए। Farmers ID को KCC एवं अन्य कृषि ऋणों तथा कृषि योजनाओं से जोड़ने की संभाव्यता पर संबंधित बैंकों के साथ समन्वय कर कार्य किया जाए, ताकि ऋणों में डुप्लीकेशन एवं संभावित फर्जीवाड़े की रोकथाम तथा किसानों को योजनाओं का प्रभावी लाभ सुनिश्चित हो सके।	कृषि विभाग एवं सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर

33	ऋण-जमा अनुपात को 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि विगत तिमाही में राज्य में ऋण-जमा अनुपात, जमा एवं ऋण सहित विभिन्न बैंकिंग मानकों में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इस प्रगति के लिए सदन में उपस्थित सभी संबंधित बैंकों एवं हितधारकों को बधाई दी तथा अपेक्षा व्यक्त की कि इस सकारात्मक वृद्धि की गति को आगे भी बनाए रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य का ऋण-जमा अनुपात लगभग 55% है, जिसे और बेहतर करने की पर्याप्त संभावना है। मार्च 2027 तक ऋण-जमा अनुपात को 60% तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व प्राप्त करने के लिए सभी बैंक एवं हितधारक आवश्यक प्रयास करेंगे।	राज्य के ऋण-जमा अनुपात में निरंतर वृद्धि हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाए तथा मार्च 2027 तक 60% के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बैंकवार एवं जिलावार प्रयास किए जाएं।	सभी सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक	मार्च 2027 तक
34	सकल NPA में और कमी लाना	अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में बैंकों द्वारा सकल NPA को कम करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की गई है। हालांकि, राज्य का सकल NPA अभी भी लगभग 4.30% है, जबकि समग्र बैंकिंग क्षेत्र का सकल NPA 2% से कम हो गया है। उन्होंने कहा कि इस अंतर को देखते हुए राज्य में सकल NPA को और कम करने की आवश्यकता है तथा सभी बैंकों को इस दिशा में समन्वित एवं सतत प्रयास करना चाहिए, ताकि इसे बैंकिंग क्षेत्र के बेहतर मानक के अनुरूप लाया जा सके।	सभी सदस्य बैंकों द्वारा NPA की नियमित समीक्षा करते हुए वसूली एवं खाता सुधार हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा राज्य के सकल NPA को चरणबद्ध रूप से कम कर बेहतर बैंकिंग क्षेत्रीय मानकों के अनुरूप लाने के प्रयास किए जाएं।	सभी सदस्य बैंक	आगामी समीक्षा बैठकों में निरंतर समीक्षा
35	डिजिटल माध्यम से KCC, MUDRA एवं MSME ऋण की पहुंच एवं वितरण	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि कृषि, MSME एवं अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में KCC, MUDRA एवं MSME ऋण सहित कई ऋण योजनाओं के लिए डिजिटल माध्यम से आवेदन एवं प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को बैंक शाखाओं में आए बिना भी ऋण सुविधाएं प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन डिजिटल सुविधाओं के संबंध में किसानों एवं ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में AgriStack का प्रभावी उपयोग करते हुए KCC की डिजिटल प्रक्रिया को अत्यंत कम समय में पूरा किया जा रहा है। अतः झारखंड में भी AgriStack एवं अन्य उपलब्ध डिजिटल प्रणालियों का प्रभावी उपयोग कर KCC सहित कृषि ऋण के त्वरित एवं सुगम वितरण की संभावनाओं पर कार्य किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार, संबंधित विभागों एवं बैंकों से SLBC के समन्वय में इस दिशा में संयुक्त प्रयास करने का आग्रह किया।	AgriStack एवं उपलब्ध डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए KCC सहित कृषि ऋण की डिजिटल प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाने की संभाव्यता का परीक्षण किया जाए। डिजिटल ऋण सुविधाओं के संबंध में किसानों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित की जाए तथा राज्य सरकार, संबंधित विभागों एवं बैंकों के समन्वय से डिजिटल ऋण वितरण को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाए।	राज्य सरकार के संबंधित विभाग, SLBC एवं सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर

36	ACP के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वित्तीय समावेशन में LDM की भूमिका	अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि जिला स्तर पर ACP कार्यक्रम एवं राज्य के बैंकिंग विकास से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका है। LDM बैंक एवं राज्य सरकार के बीच जमीनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण समन्वयकारी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने LDMs से अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने का अनुरोध किया, ताकि ACP के लक्ष्यों की प्राप्ति एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को गति मिल सके। साथ ही, उन्होंने वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य में सक्रिय BC की स्थिति से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा BC की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।	LDM द्वारा अपने-अपने जिलों में बैंकों एवं जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करते हुए ACP के लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाए। वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाया जाए तथा निष्क्रिय/कम सक्रिय BC की समीक्षा कर उनकी सक्रियता एवं बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।	अग्रणी जिला प्रबन्धक	निरंतर / आगामी समीक्षा बैठक तक
37	लंबित बैंक शाखाओं का शीघ्र उद्घाटन	अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि शाखा विस्तार के संबंध में चर्चा के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कुछ बैंकों द्वारा अभी लगभग 12–13 शाखाओं का उद्घाटन किया जाना शेष है। उन्होंने संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप लंबित शाखाओं का उद्घाटन यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शाखाओं का शीघ्र उद्घाटन होने से राज्य में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी तथा इससे राज्य एवं संबंधित बैंकों, दोनों को लाभ होगा।	लंबित बैंक शाखाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर यथाशीघ्र उद्घाटन सुनिश्चित किया जाए तथा शाखा खोलने की प्रक्रिया में शेष औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।	संबंधित सदस्य बैंक	यथाशीघ्र
38	BLBC, DLCC एवं DLRC बैठकों के आयोजन एवं कार्यवाही का अनुपालन	अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नई व्यवस्था/दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्ष 2026 के लिए निर्धारित प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से BLBC, DLCC एवं DLRC की बैठकों के आयोजन, निर्धारित समय-सीमा के अनुपालन तथा बैठकों की कार्यवाही से संबंधित प्रावधानों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि बैठकों के आयोजन एवं कार्यवाही में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर बैंकिंग योजनाओं एवं ऋण प्रवाह की प्रभावी समीक्षा हो सके।	BLBC, DLCC एवं DLRC की बैठकों का आयोजन निर्धारित समय-सीमा एवं RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। बैठकों की कार्यवाही, कार्रवाई बिंदुओं एवं अनुपालन की नियमित निगरानी की जाए तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए।	अग्रणी जिला प्रबन्धक	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार
39	डिजिटल डेटा एवं डेटा सबमिशन में शुद्धता एवं समन्वय	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि बैठक के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले डेटा एवं विभिन्न बैंकों/विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में यह कहा जाए कि डेटा गलत है, तो यह कहीं न कहीं संबंधित पक्षों के बीच समुचित समन्वय की कमी को दर्शाता है। अतः सभी संबंधित बैंकों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला डेटा सत्यापित, समेकित एवं सही हो।	सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आंकड़ों का संबंधित बैंकों एवं विभागों के स्तर पर पूर्व-सत्यापन एवं मिलान सुनिश्चित किया जाए। SLBC के समन्वय से डेटा का समेकित एवं सही रूप में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।	SLBC, सदस्य बैंक	प्रत्येक SLBC बैठक से पूर्व / निरंतर

		उन्होंने SLBC के संयोजक से अनुरोध किया कि इस संबंध में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें तथा सभी संबंधित पक्ष संयुक्त उत्तरदायित्व के साथ डेटा की शुद्धता एवं समेकित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।			
40	सक्रिय खातों की प्राथमिकता के आधार पर Re-KYC/E-KYC	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि Re-KYC/E-KYC की आवश्यकता केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में बैंकों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सभी बैंक मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि विशेष रूप से सक्रिय खातों को प्राथमिकता देते हुए ऐसे खातों की Re-KYC/E-KYC शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने बताया कि बैंकों द्वारा E-KYC के लिए विभिन्न माध्यम पहले से उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें वेबसाइट, ATM, मोबाइल ऐप एवं शाखा के माध्यम से KYC पूर्ण करने की सुविधा शामिल है। साथ ही, ग्राहकों को WhatsApp एवं अन्य माध्यमों से भी KYC संबंधी सूचनाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल डिजिटल माध्यमों पर निर्भर रहने के साथ-साथ शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करते हुए लंबित KYC को पूर्ण कराया जाना चाहिए।	सभी सदस्य बैंकों द्वारा सक्रिय खातों की पहचान कर Re-KYC/E-KYC को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। उपलब्ध डिजिटल माध्यमों के साथ-साथ शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क एवं हैंडहोल्डिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि लंबित KYC मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके।	सभी सदस्य बैंक	प्राथमिकता के आधार पर / शीघ्र
41	RSETI की भूमिका एवं ODOP/क्लस्टर आधारित MSME विकास	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि RSETIs द्वारा ऋण एवं स्वरोजगार से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हालांकि, इसके प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के लिए RSETIs की गतिविधियों एवं उनके परिणामों को बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मुद्रा, MSME एवं अन्य क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों में One District One Product (ODOP) एवं क्लस्टर आधारित योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, कारीगरों एवं उद्यमियों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि झारखंड में भी जिलेवार उत्पादों/गतिविधियों की पहचान कर उपयुक्त क्लस्टर विकसित करने तथा इसके लिए आवश्यक नीति एवं योजनाएं तैयार करने की संभाव्यता पर विचार किया जाए। ऐसे क्लस्टरों में स्थानीय कारीगरों एवं उद्यमियों को बैंकों से ऋण सुविधा से जोड़ने पर उनके आर्थिक विकास के साथ-साथ राज्य में MSME एवं ऋण प्रवाह को भी बढ़ावा मिलेगा।	झारखंड में ODOP एवं क्लस्टर आधारित विकास की संभाव्यता का अध्ययन किया जाए तथा जिलेवार संभावित उत्पाद/गतिविधियों एवं कारीगरों की पहचान कर उपयुक्त क्लस्टर विकसित करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए। RSETIs के प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को ऐसे क्लस्टरों एवं संभावित लाभार्थियों से जोड़ते हुए बैंकों के माध्यम से मुद्रा/MSME ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में समन्वित प्रयास किया जाए।	राज्य सरकार एवं समस्त हितधारक	प्राथमिकता के आधार पर
42	डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता	श्री राजीव मिश्रा, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया ने सदन को अवगत कराया कि बैंकिंग उद्योग ने डिजिटलाइजेशन को व्यापक रूप से अपनाया है तथा डिजिटल तकनीक पर बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होगा, जब इसकी सुविधाओं एवं लाभों को अंतिम ग्राहकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा	सभी सदस्य बैंकों द्वारा ग्राहकों के बीच साइबर सुरक्षा एवं सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग व्यवहार के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ	सभी सदस्य बैंक	निरंतर

		सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के साथ साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बैंकों द्वारा साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु इसके साथ ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी, साइबर खतरों एवं सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग व्यवहार के संबंध में जागरूक करना भी आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से सामूहिक रूप से प्रयास करने का आग्रह किया, ताकि राज्य में ग्राहकों की साइबर जागरूकता का स्तर बढ़ाया जा सके तथा उन्हें डिजिटल बैंकिंग से जुड़े संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखा जा सके।	साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी शाखाओं, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से ग्राहकों तक पहुंचाई जाए।		
43	ग्राहक सेवा में सुधार एवं समयबद्ध बैंकिंग सेवाओं का वितरण	अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है तथा इस दिशा में सभी बैंकों को निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो बैंकिंग क्षेत्र द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों एवं मानकों की प्राप्ति भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच राज्य के अंतिम छोर तक सुनिश्चित हो तथा ग्राहकों को सही सेवा सही समय पर प्राप्त हो। उन्होंने विशेष रूप से ऋण सहित विभिन्न बैंकिंग उत्पादों के लिए निर्धारित TAT (Turnaround Time) का पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि प्रत्येक बैंकिंग उत्पाद/सेवा के लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा की जानकारी संबंधित अधिकारियों को होनी चाहिए और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी बैंकों से ग्राहक सेवा में अधिक सक्रिय, उत्तरदायी एवं समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। अंत में, उन्होंने राज्य में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सभी बैंकों एवं हितधारकों से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वर्तमान विकास की गति को बनाए रखने तथा झारखंड को देश के आर्थिक रूप से सशक्त एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य राज्यों में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया।	सभी सदस्य बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं एवं ऋण उत्पादों के लिए निर्धारित TAT एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ग्राहकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बैंकिंग सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु शाखा स्तर पर नियमित निगरानी की जाए।	सभी सदस्य बैंक	निरंतर
44	ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि हेतु	माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में ऋण-जमा अनुपात में हुई उल्लेखनीय प्रगति के लिए सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पहली बार SLBC की बैठक में भाग लिया था, उस समय राज्य का ऋण-जमा अनुपात 50.22% था। वर्तमान में यह बढ़कर 54.97%, अर्थात लगभग 55% हो गया है, जो लगभग 9.46% की वृद्धि को दर्शाता है। माननीय मंत्री ने इस उपलब्धि पर राज्य सरकार की ओर से सभी बैंकों एवं बैंकर्स को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं तथा इस सकारात्मक प्रगति को आगे भी बनाए रखने पर बल दिया।	ऋण-जमा अनुपात में हुई प्रगति को बनाए रखते हुए राज्य में ऋण प्रवाह को और बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जाए।	जानकारी हेतु	निरंतर

45	राज्य के विकास में बैंकिंग क्षेत्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता	माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि राज्य सरकार एवं बैंकिंग क्षेत्र, दोनों का मूल उद्देश्य राज्य के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं से समृद्ध राज्य है, तथापि राज्य गठन के जिन उद्देश्यों को लेकर अपेक्षाएँ की गई थीं, उन्हें अपेक्षित स्तर तक प्राप्त करने की दिशा में अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य के विकास के लिए बैंकिंग क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी तथा राज्य सरकार के सहयोग एवं समन्वय को और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बैंकर्स को आश्वस्त किया कि बैठक में राज्य सरकार से संबंधित जो अपेक्षाएँ एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बैठक के उपरांत SLBC के अधिकारियों, राज्य के वित्त सचिव एवं वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बैंकर्स द्वारा रखी गई अपेक्षाओं की समीक्षा की जाएगी तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।	बैंकर्स द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखी गई अपेक्षाओं एवं लंबित विषयों की समीक्षा हेतु SLBC अधिकारियों, वित्त सचिव एवं वित्त विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।	राज्य सरकार, वित्त विभाग, SLBC	बैठक के उपरांत शीघ्र
46	कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह एवं उसके परिणामों की समीक्षा	माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने अपने लगभग 45 वर्षों के संसदीय जीवन एवं अनुभव का उल्लेख करते हुए सदन को अवगत कराया कि झारखंड प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है तथा राज्य के पास पर्याप्त नदी बेसिन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद राज्य के विकास की अपेक्षाओं को अपेक्षित स्तर तक प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की स्थिति एवं कृषि ऋण के प्रभावी उपयोग पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि राज्य की लगभग 70–80% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अतः यह आवश्यक है कि SLBC के स्तर पर केवल कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की राशि की समीक्षा न की जाए, बल्कि यह भी आकलन किया जाए कि उक्त ऋण का वास्तविक उपयोग किस प्रकार हुआ तथा उससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में कितना परिणाम प्राप्त हुआ। इस क्रम में उन्होंने झारखंड राज्य के गठन के समय से अब तक तथा झारखंड के बिहार से अलग होने से पूर्व की अवधि में दिए गए KCC ऋण से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु SLBC से अनुरोध किया, ताकि दीर्घकालिक स्तर पर कृषि ऋण के प्रवाह एवं उसके परिणामों का तुलनात्मक आकलन किया जा सके। उन्होंने कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण, उसके उपयोग एवं उससे प्राप्त वास्तविक परिणामों का समेकित आकलन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹1.16 लाख प्रतिवर्ष है, जबकि कुछ जिलों में प्रति व्यक्ति आय इससे काफी कम है। ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय क्षमता एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए	झारखंड राज्य के गठन से अब तक तथा झारखंड के बिहार से पृथक होने से पूर्व की उपलब्ध अवधि के KCC ऋण से संबंधित ऐतिहासिक आंकड़ों को संकलित कर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण, ऋण के उपयोग तथा उससे प्राप्त कृषि उत्पादन/उत्पादकता के परिणामों का आकलन किया जाए, विशेषकर कम आय वाले जिलों में कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाने हेतु लक्षित रणनीति तैयार की जाए।	SLBC, सदस्य बैंक	आगामी समीक्षा बैठक तक

		लक्षित वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति एवं समग्र जीवन स्तर में सुधार हेतु वित्तीय समावेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा बैंकिंग क्षेत्र के समन्वित प्रयासों के बिना संभव नहीं है।			
47	वार्षिक ऋण योजना एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बैंकों की भूमिका	माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि उन्होंने राज्य की वार्षिक ऋण योजना का अध्ययन किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य लगभग ₹1,73,000 करोड़ है, जो राज्य के लगभग ₹1,58,000 करोड़ के बजट की तुलना में उल्लेखनीय राशि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के बजट में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी तथा अन्य मदों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में रेखांकित करते हुए कहा कि झारखंड को आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने में राज्य सरकार के साथ-साथ बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि उन्होंने Annual Credit Plan के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र तथा विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन का अध्ययन किया है तथा इस संबंध में तैयार रिपोर्ट की प्रति SLBC के वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आगामी बैठकों में उपलब्धियों एवं कमियों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जहां कुछ बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक है, वहीं लगभग 60–65% बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र पर चर्चा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के बिना राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं, कमजोर वर्गों के उत्थान, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना, स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन तथा अन्य केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं में बैंकों की भूमिका एवं योगदान की समीक्षा किए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह आकलन किया जाना आवश्यक है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकिंग क्षेत्र का वास्तविक योगदान कितना रहा है। जहां उपलब्धियां संतोषजनक हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाए तथा जहां अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, वहां बैंक आवश्यक सुधार एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्पित होकर कार्य करें। उन्होंने झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं राज्य को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।	Annual Credit Plan के अंतर्गत बैंक-वार एवं क्षेत्र-वार उपलब्धियों तथा कमियों का विस्तृत विश्लेषण किया जाए। विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, KCC, SHG, MUDRA, स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन तथा केंद्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में बैंकों के योगदान की समीक्षा कर सुधार हेतु बैंक-वार कार्ययोजना तैयार की जाए। कम प्रदर्शन करने वाले बैंकों को लक्षित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाए तथा आगामी SLBC बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाए।	SLBC, सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक	आगामी SLBC बैठक तक

48	बैंक शाखाओं के विस्तार एवं वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार	माननीय वित्त मंत्री, झारखंड सरकार ने सदन को अवगत कराया कि राज्य में वर्तमान में लगभग 3540 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं, तथापि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनसंख्या के अनुपात में अभी भी लगभग 1,000 बैंक शाखाओं की कमी है। उन्होंने राज्य में शाखा विस्तार की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए विशेष रूप से दूरस्थ, दुर्गम एवं पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ उपलब्ध कराने से किसानों, महिलाओं एवं ग्रामीण आबादी को वित्तीय एवं आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे तथा उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। इस क्रम में माननीय वित्त मंत्री ने बैंक शाखा खोलने हेतु विशेष रूप से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के बरगर (Bargar) गाँव, जिला गढ़वा; हुसैनाबाद के दंगवार (Dangwar) क्षेत्र, जिला पलामू; तथा चट्टी/चट्टो चट्टी (Chatto Chatti), जिला गिरिडीह का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बैंक शाखा की स्थापना न केवल स्थानीय लोगों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा पूर्व में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सदस्य बैंकों से अपेक्षा की कि राज्य में शाखा विस्तार की गति को बढ़ाया जाए तथा निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर अधिक से अधिक नई बैंक शाखाएँ खोली जाएँ।	बरगर (Bargar) गाँव, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र, जिला गढ़वा; दंगवार (Dangwar) क्षेत्र, हुसैनाबाद, जिला पलामू; तथा चट्टी/चट्टो चट्टी (Chatto Chatti), जिला गिरिडीह में बैंक शाखा खोलने के प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाए तथा संबंधित बैंकों द्वारा शीघ्र शाखा खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही, राज्य के अन्य बैंकिंग सुविधा से वंचित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शाखा विस्तार की गति बढ़ाने हेतु बैंक-वार कार्ययोजना तैयार की जाए।	अग्रणी जिला प्रबन्धक	शीघ्र

घ) धन्यवाद ज्ञापन: श्री संतोष कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित माननीय अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्य बैंकों एवं अन्य सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक के सफल आयोजन एवं सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया।

(गुरु प्रसाद गोंड)
महाप्रबंधक एवं संयोजक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति- झारखण्ड

96 वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2026				
27 अगस्त 2026, होटल रमाडा,बरयातु, राँची				अनुलग्नक-1
क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री राधा कृष्ण किशोर	वित्त मंत्री	झारखंड सरकार	
2	श्री अंजनी कुमार ठाकुर	निदेशक	वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	
3	श्री राजीव मिश्रा	कार्यकारी निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया , प्रधान कार्यालय	
4	श्री अनन्य मित्तल, भा॰प्र॰से॰	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	JSLPS, झारखंड सरकार	
5	श्री विद्यानंद शर्मा पंकज, भा॰प्र॰से॰	निदेशक	कृषि विभाग, झारखंड सरकार	
6	श्रीमती रक्षा मिश्र	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
7	श्रीमती दीपमाला घोष	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
8	श्री गुरु प्रसाद गोंड	महाप्रबंधक एवं संयोजक	बैंक ऑफ इंडिया , एसएलबीसी	
9	श्री सुधीर बाड़ा	निदेशक	उच्च शिक्षा विभाग	9631100474
10	श्रीमती सीता पुष्पा	अपर सचिव	स्कूली शिक्षा विभाग	9431102008
11	श्री आर एस भगवाने	महाप्रबंधक	नाबार्ड	941016067
12	श्री संतोष कुमार सिन्हा	उप महाप्रबंधक	एसएलबीसी	
13	श्री कुन्दन कुमार सिन्हा	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	7011560806
14	श्री अमित कुमार भदानी	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	9934950039
15	सुश्री कुमकुम वर्मा	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिज़र्व बैंक	
16	श्री बेनुधर पाढ़ी	महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	6372446470
17	श्री मनीष कुमार मिश्रा	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9890499987
18	श्री ऋषि गुप्ता	महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9920613772
19	श्री जयागुरु मिश्रा	उप महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9163959744
20	श्री राजेश शरण	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9800005483
21	श्री आर सी गोयल	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	9264291876
22	श्री नीलमणि	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	7261096555
23	श्री सौरभ श्रीवास्तवा	सहायक महाप्रबंधक	यूको बैंक	9644050800
24	श्री अरुण कुमार	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9204135554
25	श्री अरविन्द एक्का	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	
26	श्री सोहम शोम	प्रबन्धक	भारतीय रिजर्व बैंक	8584895351
27	श्री प्रमोद कुमार	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	8789657697
28	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखंड ग्रामीण बैंक	8709316664
29	श्री आर के बाजपई	सीईओ	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	7033591733
30	श्री शशि कपूर	मुख्य प्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	6302901200
31	श्री के एस ओझा	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	9431359893
32	श्री आर सिन्हा	PIB रांची		7303876388
33	श्री हरी प्रसाद बियानी	अध्यक्ष	JSIA	8002685608
34	श्री अजय कुमार	मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7600179041
35	श्री कुमार राहुल	मुख्य प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9689783711
36	मोहम्मद आसिफ	पीएमयू	उच्च शिक्षा विभाग	8984949220
37	श्री शंभू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन	9334308055
38	श्री कपिलदेव पंडित	अवर सचिव-सह-सहायक निदेशक	कोषागार एवं सांख्यिक वित्त निदेशालय	7903028430
39	श्री प्रियल कुमार दत्ता	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9239333958
40	श्री एस के चौधरी	बैंकिंग प्रॉफेश्नल	एनएसएसएचओ	9760245415
41	श्रीमति किरण मारिया टिर्की	सीनियर ब्रांच मैनेजर	एनएसएसएचओ	9334060773
42	श्री जितेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	7897992079
43	श्री सुशांत कुमार भोय	सीनियर रीजनल मैनेजर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	9650681565
44	श्री सोनू कुमार	प्रबंधक	बैंक ऑफ़ बड़ौदा	6287395612
45	श्री व नागद्वार	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	9304886075
46	श्री दीपेन्द्र घोष	आरएच	उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक	9334821144
47	श्री टोफन सेनापति	राज्य प्रमुख	एयरटेल पेमेंट बैंक	9937049364
48	श्री विक्रम कुमार	सीडीएच	एयरटेल पेमेंट बैंक	7541049105
49	श्री ज़ाहिद ज़हीर	शाखा प्रमुख	डीबीएस बैंक	9334432524
50	श्री कुमरुल होदा	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9830992994
51	श्री अमन आदित्य	सहायक प्रबंधक	राष्ट्रीय आवास बैंक	8448291940
52	श्री गोपाल कुमार	सहायक उपाध्यक्ष	आरबीएल बैंक	8877888807
53	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक महाप्रबंधक	नाबार्ड	9431230537
54	श्री रघुनंदन के एस	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8660507376
55	श्री प्रताप होरो	सहायक प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9049724477
56	श्री दिलीप कुमार	प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8084173101
57	श्री परिशेस पाठक	मुख्य प्रबंधक	झारखंड राज्य सहकारी बैंक	8709199091
58	श्री संतोष कुमार		केवीआईसी	9386340777
59	श्री एस के मिश्रा	एस ओ	केवीआईसी	9793802449
60	श्री हरिचन्द मुरमु	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301302
61	श्री धीरज कुमार होरो	एसपीएम -एफआई	जेएसएलपीएस	8969170434
62	श्री शिवम सिंह	सचिव	जेएसआईए	9835334399
63	श्री विनय कुमार	मुख्य कार्यकारी कार्यालय	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	9430145773
64	श्री एस के सौरभ	डिप्टी रीजनल हेड	कर्नाटक बैंक	8861570651
65	श्री धर्मवीर	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	8968833187
66	श्री सुशील कुमार	प्रबंधक	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	7903233764
67	श्री विवेक जामवाल	शाखा प्रबंधक	जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	9622095966
68	श्री राजीव रंजन	डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट	कोटक महिंद्रा बैंक	9540095333
69	श्री साकेत कुमार	शाखा प्रबंधक	कोटक महिंद्रा बैंक	9931752294
70	श्रीमती अदिति घोष	क्षेत्र प्रमुख	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9835708422

96 वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2026

27 अगस्त 2026, होटल रमाडा,बरयातु, राँची

अनुलग्रक-1

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
71	श्री मनीष कुमार	एएसएम	ईएसएएफ एसएफबी	6202371634
72	श्री मनीष सिन्हा	एवीपी	यस बैंक	9934010122
73	श्री रवि शंकर	डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजर	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7781003289
74	श्री अशोक साहू	क्षेत्रीय प्रमुख	बंधन बैंक	9776475313
75	श्री प्रवीण ओझा	शाखा प्रबंधक	जना एसएफबी	7004940734
76	श्री उत्तम रॉय	सहायक उपाध्यक्ष	एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	9471307412
77	श्री अमीतांशु	प्रबंधक	द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9037854474
78	श्री सुनील तिवारी	शाखा प्रमुख	करूर वास्या बैंक	7091194716
79	श्रीमति अल्पना शर्मा	प्रबंधक	सिटी यूनियन बैंक	9959607525
80	श्री शिशिर सिंह	क्षेत्रीय प्रमुख	फिनो पेमेंट बैंक	9955996557
81	श्री रोहित कुमार सिंह	क्षेत्रीय प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9308999078
82	श्री परविंदर सिंह	राज्य प्रमुख	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9771413009
83	श्री कुमार नितेश	सहायक उपाध्यक्ष	एक्सिस बैंक	9771416906
84	श्री सुभाष कुमार	राज्य प्रमुख	एक्सिस बैंक	7260811600
85	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरसेटी	जेएसएलपीएस	9431901016
86	श्री सैयद शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
87	श्री प्रिय रंजन	मुख्य प्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771430611
88	श्री शशांक भूषण	शाखा प्रमुख	फेडरल बैंक	8917606314
89	श्रीमति मधुमिता	एडमिन डाइरेक्टर	ASPEN ENGGICON PVT LTD	9288399969
90	श्री प्रवाया कुमार सिंह	सहायक महाप्रबंधक	सिडबी	9082867930
91	श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	7319167837
92	श्री मनीष कुमार	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9661154314
93	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	8298715715
94	श्री संजीव कुमार चौधरी	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	9735825487
95	श्री अमृत चौधरी	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	8210169991
96	श्री विनोद कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	9893692652
97	श्री किशोर कुमार	हज़ारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572016960
98	श्री अजित कुमार	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	9007826480
99	श्री विमल कांत झा	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7710967100
100	श्री दिवाकर सिन्हा	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
101	श्री देवनारायण उराँव	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	8521443753
102	श्री प्रकाश उराँव	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	7764842162
103	श्री सब्यसाची पात्रा	सरायकेला खरसावां	अग्रणी जिला प्रबंधक	7004874807
104	श्री सनिस मिंज	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7991140367
105	श्री विष्णु जी	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8789054483
106	श्री चंदन चौहान	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295
107	श्री प्रभात रंजन	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	82986 67607
108	श्री आनंद मोहन	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771435410
109	श्री एस के रंजन	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
110	श्री अच्युता नारायण सिन्हा	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7519937038
111	श्री नरेन्द्र श्रीवास्तव	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
112	श्री अमित कुमार सिंह	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470230901
113	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
114	श्री प्रभु दयाल टोपनो	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	91998 09039
115	श्री अभिजीत टंडन		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
117	श्री प्रशांत कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
118	श्री कुमार ऋषव		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
119	श्री प्रदीप चटर्जी		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
120	श्रीमति रुचि भामभा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
121	श्री अश्विनी कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
122	श्री सुमित कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
123	श्रीमति भव्या सहगल		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
124	श्रीमती प्रेरणा प्रियंवदा		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
125	श्री शैलेश कुमार		राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	